पत्र संख्या–26 / विविध–01–01 / 2025.............................../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के अधीन पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया के अंतर्गत निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–10 / 2024–25 के ग्रुप संख्या–3 एवं 4 अंतर्गत क्रमशः Removal of Jalkumbhi, aquatic glass, Daldal and sewage materials from Parsa Barmutta Nala in between 10.58 km to 17.18km तथा Removal of Jalkumbhi, aquatic glass, Daldal and sewage materials from Pahari Nala in between 0.00 km to 6.65km का कार्य परिमाण विपत्र की दर से क्रमशः 37 प्रतिशत एवं 36.50 प्रतिशत कम दर पर संवेदक श्री अभिषेक कुमार, जिला–सारण को आवंटित किया गया।

आवंटित कार्य का एकरारनामा करने हेतु कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया के पत्रांक–454 दिनांक–04.04.2025 द्वारा संवेदक को निदेशित किया गया, परन्तु बार–बार स्मारित करने के बावजूद भी निर्धारित अवधि तक एकरारनामा हेतु उपस्थित नहीं हुए। संवेदक द्वारा एकरारनामा नहीं करने के कारण मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–1388 दिनांक–21.04.2025 के द्वारा उनके निबंधन को काली सूची में डाले जाने हेतु अनुशंसा की गई।

उक्त के संदर्भ में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (ख) के तहत संवेदक श्री अभिषेक कुमार, ग्राम– बनकेरवां, पोस्ट– परसौना, जिला–सारण से विभागीय पत्रांक–1891 दिनांक–05.05.2025 द्वारा कारण–पृच्छा किया गया। पुनः पत्रांक–2835 दिनांक–24.06.2025 द्वारा स्मारित किया गया। तदालोक में संवेदक से प्राप्त कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर में अंकित है कि "मेरी तबीयत अचानक दिनांक–13.04.2025 को बहुत जोर से पेट में दर्द होने के कारण मुझे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसमें मुझे संबंधित जाँच रिपोर्ट मे डॉ0 साहब के द्वारा बताया गया की आपके पेट के गोल ब्लाडर में स्टोन है, आपको जल्द से जल्द ऑपरेशन कराना अति आवश्यक है और मुझे अस्पताल में भर्ती करके दिनांक–17.04.2025 को ऑपरेशन कराया गया है। उस समय के बाद से 3 महीनों के लिए पूर्ण आराम के लिए डॉ0 साहब के द्वारा कहा गया।

संवेदक से प्राप्त कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर की समीक्षा में पाया गया है कि संवेदक द्वारा समर्पित चिकित्सा संबंधी अभिलेख बिना चिकित्सक के हस्ताक्षर एवं मुहर के हैं एवं उसमें अंकित QR Code भी Scan नहीं हो पा रहा है, इसलिए संवेदक से प्राप्त कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर पर मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना से स्पष्ट प्रस्ताव एवं मंतव्य की मांग की गयी।

तदालोक में मुख्य अभियंता, पटना के पत्रांक–4036 दिनांक–14.10.2025 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। मुख्य अभियंता, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन में स्पष्ट अंकित है कि 'संवेदक द्वारा दिनांक–13.04.2025 को पेट में दर्द होने के कारण अस्पताल में भर्ती होने तथा दिनांक–17.04.2025 को ऑपरेशन कराये जाने संबंधी सूचना किसी भी माध्यम से कार्यालय को पूर्व में नहीं दिया गया है। जबकि दिनांक–04.04.2025 से लेकर दिनांक–12.04.2025 तक बार–बार उनसे सम्पर्क करने की कोशिश कार्यालय द्वारा पत्र के माध्यम एवं दूरभाष पर किया जाता रहा है। खराब तबीयत के संबंध में कार्यपालक अभियंता को अवगत कराये जाने का जिक्र संवेदक द्वारा पत्र में किया गया है जो पूरी तरह गलत निराधार एवं भ्रामक है'। संवेदक द्वारा स्वेच्छापूर्वक एकरारनामा की कार्रवाई नहीं की गयी एवं जानबूझकर बाढ़ आपदा एवं लोकहित जैसे ज्वलंत कार्य की महत्ता को दर किनार करते हुए एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं किया गया।

एक बार से अधिक कार्य आवंटित होने के पश्चात् निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली– 2007 के नियम–11 (क) (viii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में आता है।

अतः उपर्युक्त के लिए संवेदक श्री अभिषेक कुमार, ग्राम–बनकेरवां, पोस्ट–परसौना, जिला–सारण (निबंधन सं0–WRD051224C3IN24169 श्रेणी–तृतीय) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम–11 (क) (viii) में प्रावधानित कदाचार के तहत दोषी पाते हुए विभागीय आदेश सं0–201 दिनांक–14.03.2016 के आलोक में अगले 10 वर्षों के लिए कालीसूची में डाला जाता है।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक :– 26/विविध–01–01/2025...... पटना/दिनांक :....................

प्रतिलिपिः– श्री अभिषेक कुमार, ग्राम–बनकेरवां, पोस्ट–परसौना, जिला–सारण, पिनकोड–841219 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक 26/विविध–01–01/2025...... पटना/दिनांक :....................

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना को उनके पत्रांक–1388 दिनांक–21.04.2025 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26/विविध–01–01/2025........ पटना, दिनांक :..

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांकः– 26/विविध–01–01/2025......... पटना, दिनांक :..

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल–2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

3

ज्ञापांकः– 26 / विविध–01–01 / 2025 6920 पटना, दिनांक : 18/12/25

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई0टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/12/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।